न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर, जिला – भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 05/2011 अपील

1. श्रीमती नारायणी बेवा लेहरूलाल गाडरी निवासी खातीखेड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

अपीलार्थीयां

बनाम

1. नानूराम पिता लेहरू गाडरी निवासी खातीखेड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. श्रीमती छाऊ बाई पत्नि मोहनलाल सुराणा निवासी सहाड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 132 दिनांक 07.05.1975 ग्राम पंचायत डेलाना पं0 स0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

दिनांक 24.12.2019

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीयां नारायणी बेवा लेहरूलाल गाडरी निवासी खातीखेड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)ने अपील अन्तर्गत धारा 75 L.R. Act विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 132 दिनांक 07.05.1975 ग्राम पंचायत डेलाना पं0स0 सहाड़ा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 के परिवार का परिवारिक सजरा निम्न प्रकार है :–

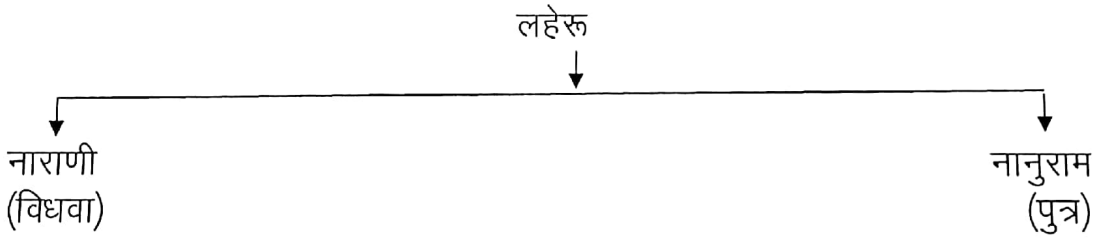

अपीलार्थीया नाराणी मृतक खातेदार लेहरू की विवाहिता पत्नि हैं।

ग्राम खातीखेड़ा तहसील सहाड़ा के हाल आराजी संख्या 77 रकबा 0.19 हे0, 134 रकबा 0.20 हे0, 146 रकबा 0.20 हे0, 153 रकबा 0.24 हे0, 573 रकबा 0.58 हे0, 156 रकबा 0.77 हे0 भूमि स्थित हैं। उक्त वर्णित आराजियात के साबिक नं0 22 मीन रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, 40 मीन रकबा 31 बीघा 4 बिस्वा, आराजी संख्या 46 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा है जिसका मिलान क्षेत्रफल संलग्न है।

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

उक्त वर्णित आराजियात अपीलार्थियां के पति लेहरू के नाम पर सह खातेदारी में दर्ज थी जो आपसी विभाजन में नानूराम के नाम दर्ज हुई तथा साबिक नम्बरों में बट्टा नम्बर बने दौरान बन्दोबस्त नवीन नम्बर कायम हुए। अपीलार्थीयां मृतक खातेदार लेहरू की पत्नि होकर प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है। तथा ग्राम पंचायत ने बिना अपीलार्थीयों को सुने बिना नोटिस दिये रेस्पोडेन्ट नानूराम के पक्ष में नामान्तरण पारित कर दिया जो गलत विधि के विरूद्ध है जो अपास्त होने योग्य है।

यह कि अपीलार्थीया मृतक खातेदार लेहरू की विवाहिता पत्नि है जिससे रेस्पोडेन्ट नानूराम का आधा हिस्सा व आधा हिस्सा अपीलार्थिया के नाम दर्ज होनी चाहिए लेकिन ग्राम पंचायत डेलाना ने बिना अपीलार्थीयां को सुने बिना नोटिस दिये उक्त नामान्तरण रेस्पोडेन्ट नानुराम के पक्ष में पारित कर दिया जो अपास्त होने योग्य है।

यह कि रेस्पोडेन्ट संख्या एक ने उक्त भूमि अनाधिकृत रूप से अपने नाम दर्ज करा दी तथा रेस्पोडेन्ट सख्या दो छाऊ बाई को दिनांक 17.10.2005 को एक नुमाईसी तौर से विक्रय पत्र से विक्रय कर दी जो अवैध है जबकि अपीलार्थीया मौके पर अपने आधे हिस्से पर उपयोग उपभोग कर रही है व काश्त लाभ ले रही है तथा रेस्पोडेन्ट छाऊ बाई के पक्ष में किया गया विक्रय पत्र अवैध होकर शून्य है तथा नानूराम को अपने हिस्से से अधिक भूमि विक्रय करने का अधिकार नहीं है। अपने हिस्से में से अधिक भूमि विक्रय नहीं की जा सकती है मौके पर अपने आधे हिस्से पर काविज है जिससे बेदखल करने का प्रत्यर्थीगण को कोई अधिकार नहीं हैं। उक्त भूमि में से 0.77 हे0 भूमि प्रत्यर्थी संख्या 2 को बैच दी जा विधि विरूद्ध होने से अपास्त होने योग्य हैं। प्रत्यर्थीगण ने अपीलार्थीयां को दिनांक 24.06.2011 को जबरन बेदखल करने का प्रयास किया व अपीलार्थीयां का नाम दर्ज नहीं होने की जानकारी दी इस पर नकल हेतु आवेदन पत्र पेश किया व दिनांक 20.12.2011 को प0 ह0 से नकल प्राप्त की व नामान्तरकरण की नकल हेतु आवेदन पत्र दिनांक 24.06.2011 को पेश किया जिस पर दिनांक 27.06.2011 को प्राप्त हुई। तब अपीलार्थीयां को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त नामान्तरकरण आदेश की प्रथम जानकारी हुई तथा जानकारी की दिनांक से यह अपील अन्दर अवधि पेश है आदेश की दिनांक से अपील पेश करने में हुई देरी के समय को कण्डोनफरमाया जाने हेतु धारा 5 कानून मियाद अधिनियम का प्रा0 पत्र पृथक से प्रस्तुत किया हैं।

अपीलार्थीयां ने अपील प्रा0 पत्र में रिलीफ चाही है कि अपीलार्थीयां की अपील स्वीकार फरमायी जाकर ग्राम पंचायत डेलाना पं0स0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा द्वारा पारित नामान्तरकरण आदेश संख्या 132 दिनांक 07.05.1975 को अपास्त फरमाया जाकर अपील की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजियात के राजस्व रेकार्ड में प्रत्यर्थी एक के साथ–साथ अपीलार्थीयां का नाम दर्ज करवाने का आदेश प्रदान करावे व नामान्तरकरण की आड में बाद में दर्ज प्रविष्टियों को निरस्त फरमाया जावें।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 20.12.2011 को पंजिबद्ध की जाकर रेस्पोडेन्टस को नोटिस जारी किये गये। अपीलार्थीयां नाराणी के अधिवक्ता उपस्थित। वर वक्त सुनवाई अपीलार्थीयां के अधिवक्ता ने प्रस्तुत अपील में अंकित तथ्यो को दोहराया तथा अपील प्रा0 पत्र में अंकित प्रार्थना के अनुसार अपील स्वीकार की जाकर ग्राम खातीखेड़ा , गाम पंचायत डेलाना के नामान्तरकरण संख्या 132 दिनांक 07.05.1975 को अपास्त करने बाबत् निवेदन किया। प्रत्यर्थी संख्या 1 अनु0। अतः इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। प्रत्यर्थी 02 के अधिवक्ता उपस्थित।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी के समय को कण्डोन करने के लिए धारा 5 कानून मियाद अधिनियम का प्रा0 पत्र पर विचार किया जाना हैं।

अपीलार्थीयां ने प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम में अंकित किया है कि अपीलार्थीयां का नाम दर्ज नहीं होने की जानकारी प्रत्यर्थीगण ने दिनांक 24.06.2011 को दी। इस पर नकल हेतु आवेदन पत्र पेश किया व दिनांक 27.06.2011 को प0 ह0 से नकल नामान्तरकरण की प्राप्त हुई तथा अपीलार्थीयां द्वारा अपील अन्दर प्रस्तुत की हैं।

अपीलार्थीयां ने प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम के समर्थन में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया हैं। अतः यह न्यायालय प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम को स्वीकार करना उचित समझता हैं। प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाकर मियाद में शुमार की जाती हैं।

प्रत्यर्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रा0पत्र एवं दस्तावेज सूची पेश कर अवगत कराया कि माननीय अपर जिला न्यायधश नं0 01 केम्प शिविर गंगापुर में अपिलार्थिया द्वारा सिविल वाद पेश किया जिसमें अपिलार्थीयां प्रत्यर्थी संख्या 02 का विक्रय पत्र निरस्त कराने में असफल रही है।

मैंने पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया तथा वर वक्त सुनवाई अपीलार्थीयां द्वारा प्रस्तुत तथ्यों पर गहनता से मनन किया।

ग्राम खातीखेड़ा तहसील सहाड़ा के हाल आराजी संख्या 77 रकबा 0.19 हे0, 134 रकबा 0.20 हे0, 146 रकबा 0.20 हे0, 153 रकबा 0.24 हे0, 573 रकबा 0.58 हे0, 156 रकबा 0.77 हे0 भूमि स्थित भूमि में अपीलार्थिया नाराणी का 1/6 हक हिस्सा निहित था। लेहरू लाल गाडरी की मृत्यु के पश्चात् नानूराम पिता लेहरू लाल गाडरी के नाम ग्राम खातीखेड़ा के उक्त सम्पूर्ण आराजियात भूमि का नामान्तरकरण नानूराम के नाम दर्ज किया गया। चूंकि अपीलार्थीयां नाराणी मृतक लेहरू लाल की विवाहित पत्नि है तथा ग्राम खातीखेड़ा के नामान्तरकरण संख्या 132 में लेरूलाल की मृत्यु के पश्चात् उसके पुत्र नानूराम के नाम ही उक्त भूमि का इन्द्राज किया गया जो विधि सम्मत नहीं होने से अपास्त योग्य है क्योंकि अपीलार्थीयां नाराणी मृतक खातेदार लेहरू की पत्नि होकर प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है। जिसका इन्द्राज भी नामान्तरकरण संख्या 132 में किया जाना न्यायोचित होकर विधि सम्मत था। अतः अपील अपीलार्थीयां स्वीकर योग्य पाई जाती हैं।

—:आदेश:—

अपीलार्थीयां द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर ग्राम खातीखेड़ा ग्राम पंचायत डेलाना के नामान्तरकरण संख्या 132 निर्णय दिनांक 07.05.1975 को अपास्त किया जाकर उक्त नामान्तरकरण तहसीलदार भीलवाड़ा को निर्देशीत किया जाता हैं कि उक्त प्रकरण में मृतक लेहरू के नाम दर्ज 1/3 हिस्से में से अपीलार्थीयां नाराणी बेवा लेहरूलाल गाडरी के नाम 1/6 हिस्सा एवं 1/6 हिस्सा नानूराम पुत्र लेहरू गाडरी के नाम दर्ज कर नानूराम द्वारा विक्रय किये गये हिस्से को उसी के 1/6 हिस्से में से कम किया जाकर प्रत्यर्थी संख्या 2 छाऊ बाई पत्नि मोहनलाल सुराणा के नाम दर्ज करा पालना से अवगत कराना सुनिश्चित् करें। पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2019.12.24 15:14:05 IST
Reason: SelfAttested
Location: